

उलंघन पत्र

रजि.ए .डी.

Speed post/Email



भारत सरकार, खान मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF MINES
भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय- रायपुर
INDIAN BUREAU OF MINES, OFFICE OF REGIONAL CONTROLLER OF MINES, RAIPUR
फोन- 2282530-0771 2285590/ / 95, ईमेल - ro.raipur@ibm.gov.in

फाइल संख्या - CHG/KNK/Fe-3

खान कोड 30CHG17001

दिनांक 04/08/2022

प्रेषित- 1. श्री अनिर्बान दासगुप्ता, मनोनीत मालिक

2. श्री समीर स्वरूप, एजेंट, रावघाट लौह अयस्क खदान
मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड,
भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई
जिला- दुर्ग (छ.ग.)-490001

विषय- छत्तीसगढ़ राज्य के नारायणपुर और कांकेर जिले में स्थित आपकी रावघाट लौह अयस्क खदान, 2028.797 हे. में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उलंघन के संबंध में- महोदय

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 15/07/2022 को अधोहस्तक्षरी द्वारा श्री जय प्रकाश, खान प्रबंधक की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण में पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का ब्यौरा
11(1)	<p>The following deviations were observed against the proposal of approved Review of Mining Plan, which was approved vide letter no. नारायणपुर /लौह /खयो-1179/2018-रायपुर, dated 06.12.2018 for the period from 2019-20 to 2023-24:</p> <p>i) In 2019-20, 2020-21 and 2021-22, 23 nos., 104 nos., and 117 nos. of bore hole were proposed respectively. However it has been observed that bore holes as proposed have not been drilled. In 2021-22, only 10 bore holes of confirmatory drilling have been carried out.</p> <p>ii) Total 3.0 million tonnes ROM production of iron ore and 730000 cu.m waste handling were proposed in 2021-22 but it is observed that only 128.81T ROM production was carried and no waste handling has been reported in 2021-22.</p>

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवम इस नियम का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के अंतर्गत आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है 1
03. खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2)) के अंतर्गत खान की सारी खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।

04. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनो का अतिशिघ्र सुधार करे एवम इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भितर इस कार्यालय को सूचित करे।

भवदीय

(दयानन्द उपाध्याय)

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो , इंदिरा भवन, सिविल लाईन, नागपुर 440001 -
Email-com.cz@ibm.gov.in

02. संचालक भौमिकी एवम खनिकर्म, छत्तिसगढ इंद्रावती भवन द्वितीय तल डी ब्लोक, केपिटल
कोम्प्लेक्स , नया रायपुर, छत्तिसगढ- Email dgm.cg@gov.in

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो